

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, २७ फरवरी, २०२३ / ०८ फाल्गुन, १९४४

हिमाचल प्रदेश सरकार

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 फरवरी, 2023

संख्या : मुद्रण (बी)10—33 / 2010.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, में पैकर, वर्ग—IV (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार निम्नलिखित भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, पैकर, वर्ग—IV (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2022 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगें।
- 2. निरसन और व्यावृत्तियां.——(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः मुद्रण (बी) 10—33 /2010, तारीख 01—09—2011 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 07—09—2011 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, पैकर, वर्ग—IV (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2011 का एतदद्वारा निरसन किया जाता है ।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / – सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में पैकर (अराजपत्रित)(अलिपिक वर्गीय सेवाएं) वर्ग—IV के पद के लिए प्रस्तावित भर्ती और प्रोन्नित नियम

- पद का नाम.——पैकर
- **2. पदों की संख्या.**—04 (चार)
- 3. वर्गीकरण.—वर्ग-IV (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं।
- **4. वेतनमान.**—(I) नियमित पदधारियों के लिए पे बैण्ड : हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के रुपए 18000—56900 पे मैट्रिक्स का स्तर—01.
- (II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : पे मैट्रिक्स का लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का (साठ प्रतिशत) रुपये 10800 /
 - 5. पद "चयन" है या "अचयन".—अचयन पद
 - 6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—-18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत तथापि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पणी.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

- 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.——(क) अनिवार्य अर्हताएं : (1) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय या / डीम्ड विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी शिक्षा बोर्ड या संस्थान से आठवीं पास ।
 - (2) किसी सरकारी / अर्धसरकारी कार्यालय में पांच वर्ष का पैकर के पद पर व्यावहारिक अनुभव
- (ख) वांछनीय अर्हताएं : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ठ दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
- 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्यिों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.—अग्यु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं

- 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—सीधी भर्ती /प्रोन्नति के लिए:—
- (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
- (ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृर्ति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा लागू नहीं होगी।
- 10. भर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता : शतप्रतिशत प्रोन्नित द्वारा, ऐसा न होने पर यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।
- 11. प्रोन्नित (सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नित / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जायेगा.—चपरासी / माली / चौकीदार में से प्रोन्नित द्वारा जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सिम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

प्रोन्नित के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की, संयुक्त वरीयता सूची उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्ग—वार पारस्परिक वरिष्ठता को छेडे बिना तैयार की जायेगी। (1) प्रोन्नित के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक(पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नित के लिए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरण (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी:

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई किनष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सिहत, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने—अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किये जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय किनष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नित नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नित किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे किनष्ट व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्निति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत् किनष्ट पदधारी प्रोन्नित के लिए अपात्र नहीं समझा जायेगा, यिद विरष्ट अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जो आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुआ हो, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मेड फोर्सिज परसोनल (रिज़र्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन—टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिये गये हों या जिसे एक्स—सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् स्थाईकरण के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

- **12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—**जैसी सरकार द्वारा समय—समय पर गठित किया जाये।
- 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.——जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
- **14.** सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.——िकसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
- 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—संविदा आधार पर नियुक्ति के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—I में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन द्वारा किए गए अनुसरण में विहित शैक्षिण अर्हता के गुणागुण आधार पर किया जाएगा ।
- **15 (क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी:—

(I) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में पैकर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जायेगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

- (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.— नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पदों के ब्यौरे को दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा तथा इन नियमों में यथाविहित अर्हताएं और अन्य पात्रता शर्ते रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।
 - (ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त पैकर को रु० 10800/— की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम जो नियमित आधार पर नियुक्त / कार्यरत कर्मचारी के तत्स्थानी संवर्ग को पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के 60 प्रतिशत के बराबर संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिये संविदात्मक रकम अनुज्ञात की जायेगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा

(IV) चयन प्रक्रिया:

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इन नियमों से संलग्न **परिशिष्ट—I** में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन के पश्चात् विहित शैक्षिक अर्हता के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा

(VI) करार :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन एवं शर्ते :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी (व्यक्ति) को रु० 10800 / — की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम जो नियमित आधार पर नियुक्त / कार्यरत कर्मचारी के तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के 60 प्रतिशत के बराबर संदत्त की जाएगी। आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए कोई अन्य कोई सहबद्ध प्रस्विधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जायेगा।

- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्रधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सिहत गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनिधक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपयुक्त आकिस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रेनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनिधकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अविध अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

- (ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना अरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यथियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्व नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अविध को सेवा—शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परिक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को जब तक आस्थिगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छहः सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0, एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त

व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय—समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गऐ आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं

18. शिथिल करने की शिक्त.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी / किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध "ख"

पैकर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

	यह क्रार	श्री / श्रीमत	ती			y	त्र / पुर्त्र	ो श्री					
निवासी"			[™] संविदा प	र नियुक्त	व्यक्ति	(जिसे इ	इसमें इ	सके पः	श्चात्	प्रथम प	ाक्षकार	कहा	गया
है) और	हिमाचल	प्रदेश के	राज्यपाल,	के मध्य	नियन्त्रव	, मुद्रण	तथा त	लेखन	सामग्री	विभाग	ा, हिमा	चल	प्रदेश
(नियुक्ति	ा प्राधिकारी	ो का पदन	ाम) (जिसे	इसमें इस	के पश्च	ात् द्विती	य पक्षक	गर कह	ा गया	है), वे	े माध्य	म से	आज
तारीख		को किया	गया।			•				·			

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार के रूप में से प्रारम्भ होने और............. को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

- 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम रूपये 10800 / प्रतिमास होगी (जो पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) विस्तारित वर्षों के लिए कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ / चयनमान आदि नहीं दी जाएगी।
- 3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान(समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
- 4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकरिमक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार

होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनिधक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रेनीत किया जाएगा ।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनिधकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अविध अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अविध के लिए संविदात्मक रकम का हक्दार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

- 6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा / होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अविध को सेवा—शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थिगत रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है । ऐसी महिला अभ्यार्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छहः सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण —पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तोव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ई.पी. एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, मास और वर्ष को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:	
1	
 (नाम व पूरा पता)	(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2	
(नाम व पूरा पता)	
साक्षियों की उपस्थिति में:— 1	
(नाम व पूरा पता) 2	
(नाम व पूरा पता)	(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)।

परिशिष्ट—I

श्रेणी–IV के पदों के लिए

1.		लिखित परीक्षा	85 अंक
	[लिखि	ात परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है।	
		रणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक	
		नायेगें।।	
	1५५ ५	j .	
2.		अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति से किया जाना है:–	15 अंक
	(i)	यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। = 01 अंक	
	()		
	(ii)	भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व	
	(11)		
		अंक	
	(iii)	इस प्रभाव का गैर–नियोजन प्रमाण–पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य	
		सरकारी / अर्द्ध–सरकारी सेवा में नहीं है।	
		= 2.5 3 9	
	(iv)	40% विकृति / निःशक्तता / दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन।	
	(17)		
		=01 अंक	
	(v)	एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) / एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक / भारत	
		स्काऊट और गाइड / राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता।	
		= 01 अंक	
	(vi)	सरकार द्वारा समय—समय पर यथाविहित रु० ४०,०००/— से कम (समस्त	
	()	स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी०पी०एल० कुटुम्ब।	
		= 2.5 अंक	
	(V11)	विधवा / तलाकशुदा / अकिंचन / एकल महिला।	
		= 1.5 अंक	
	(viii)	इकलौती पुत्री / अनाथ।	
		= 01 अंक	
	(iv)	सरकारी / अर्द्ध-सरकारी संगठन में आवेदित पद से सम्बन्धित	
	(IX)		
		अधिकतम 5 वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक)।	
		= 2.5 अंक	

[Authoritative English Text to this Department Notification No. Mudran (B) 10-33/2010, dated 03-02-2023 as required as under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd February, 2023

- **No. Mudran (B)10-33/2010.**—In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of **Packer**, **Class-IV** (**Non-Gazetted**) **Non-Ministerial Services**, in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Packer, Class-IV (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 2022.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
- 2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department Packer, Class-IV(Non-Gazetted), (Non-Ministerial Services), Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified *vide* this department notification No. Mudran (B)10-33/2010, dated 01-09-2011 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 07-09-2011 are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) *supra* shall be deemed to have been validly made or done or taken under the corresponding provisions of these rules.

Ву	oraer
Secretary (Sd/- (<i>P&S</i>)

ANNEXURE-A

Proposed Recruitment and Promotion Rules for the post of Packer (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services Class-IV in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh

- 1. Name of the post.—Packer
- 2. Number of posts.—04 (Four)
- **3.** Classification.—Class-IV (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services)
- **4. Scale of Pay.**—(i) Pay band for regular incumbent(s): Level-1, Pay Matrix Rs. 18000—56900 P.M.

- (ii) Emoluments for Contract employee(s): Rs.10800/- (60 %) of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per H.P. Civil Service (Revised Pay) Rules, 2022
 - 5. Whether "Selection" post or "Non-selection" post.—Non-selection
 - **6. Age for direct recruitment.**—18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *adhoc* basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such *adhoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

- 7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—
 Essential qualifications: (i) Middle Pass from recognized Board or an institution affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University.
- (ii) 5 years practical experience of the post of Packer in the Government/Semi Government Office.
- (b) *Desirable qualification(s)*: Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
- 8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of promotee(s).—Age: Not applicable.

Educational Qualification: Not applicable

9. Period of probation, if any.—(i) Direct Recruitment/ Promotion:

- (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
- (b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.
- 10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. No. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
- 11. In case of recruitment by promotion/ Secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ Secondment/ transfer is to be made.—By promotion from the Peon/Mali/Chowkidar having 5 years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service, if any, in the grade.

For the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officials based on the length of service without disturbing their cadre-wise *inter-se* seniority shall be prescribed.

(1) In all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

Provided that in all cases, where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *adhoc* basis) followed by regular service/appointment in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be consideration for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *adhoc* service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the *adhoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *adhoc* service rendered shall remain unchanged.

- 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
- 13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
- **14. Essential requirement for direct recruitment.**—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
- **15-A.** Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment(s) to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(I) CONCEPT:

- (a) Under this policy the Packer in the Printing and Stationery Department will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis. Provided that for extension/renewal of Contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewal /extended.
- (b) POST FALLS OUT OF PURVIEW OF HPPSC/ HPSSC: The Controller, Printing & Stationery Department, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.
- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules;

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Packer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount equal of Rs. 10800/- to 60% (Sixty percent) of the applicable level of the Pay Matrix of the corresponding cadre of employees, appointed/ working on a regular basis, the contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contractual period is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Controller, Printing and Stationery H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of merit of prescribed educational qualification followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, by the concerned recruiting agency *i.e.* Controller, Printing and Stationery.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

The Controller, Printing and Stationery Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The Government employee who is appointed on contract basis will be given an amount of Rs. 10,800/- *i.e.* 60% (Sixty Percent) of the applicable level of the Pay Matrix of the corresponding cadre of employees, appointed/ working on a regular basis. For further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scale etc. will be given.
- (b) The services of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination order issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
- (c) The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government Servant and by a Government Medical

Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be reexamined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of the pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
- 16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
 - 17. Departmental Examination.—Not applicable.
- 18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Annexure-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Packer and the Government of Himachal Pradesh through the Controller, Printing and Stationery Department H.P.

IIIIIaciiai I Tauc	sh through the Controlle	i, i i iiitiiig and St	ationery Department 11.1	•
This agreeme	nt is made on this	day of	in the year	
			r/o	
			Governor of Himachal Pra	
	rinting and Stationery Dep	/ *	Pradesh (hereinafter referr	
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	_	FIRST PARTY and the F s on the following terms	
Packer for a period o	f one year commencing on	day of	of the SECOND PARTY and ending on the day on the parties that the contra	of_

the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working

day *i.e.* on _____ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

- 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. **10800**/- P.M (Which shall be equal to 60% of 1st cell of the Pay Matrix . For further extended years no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
- 3. The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appelllate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
- 4. The Contractual Packer will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- 6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government Servant and by a Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be reexamined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

- 8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
- 9. Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN TH	IE PRESENCE OF WITNESS :			
	(Name and Full Address)	(Signature	of the FIRST	PARTY)
IN TH	(Name and Full Address) HE PRESENCE OF WITNESS:			
	(Name and Full Address)	(Signature of	the SECOND	PARTY)
	(Name and Full Address)			
	Fo	r Class-IV Post	APPI	ENDIX-I
1.	Merit of minimum educational of Recruitment & Promotion Rules, sha [Percentage of marks obtained qualification to be calculated out candidate getting 50% marks in Material Evaluation of candidate to be made.]	all be calculated as under:- in prescribed educational of 85 marks. For example, a ric will be given 42.5 marks].	85 marks	

(i) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. =01Mark (ii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. =02 Marks (iii) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government /Semi- Government service. =2.5 Marks (iv) Differently abled persons with more than 40% impairment/ disability/ infirmity. =01 Mark (v) NSS (alteast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions. =01 Mark (vi) BPL family having annual income (from all sources) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time. =2.5 Marks (vii) Widow/divorced/destitute/single woman. =1.5 Marks (viii) Single daughter/Orphan =01 Mark (ix) Experience up to a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi, H. P.

=2.5 Marks

In the matter of :—

each completed year).

- 1. Ishan Anand s/o Sh. Sunil Anand, r/o H. No. 102/6, Samkhetar Muhalla Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.
- 2. Smt. Shevta d/o Sh. Parmod Kumar, V.P.O. Takhatgarh, Tehsil Anandpur Sahib, District Rup Nagar, Punjab . . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage 1954.

Act,

Ishan Anand s/o Sh. Sunil Anand, r/o H. No. 102/6, Samkhetar Muhalla Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Smt. Shevta d/o Sh. Parmod Kumar, V.P.O. Takhatgarh, Tehsil Anandpur Sahib, District Rup Nagar, Punjab (at present wife of Ishan Anand s/o Sh. Sunil Anand, r/o H. No. 102/6, Samkhetar Muhalla Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 05-02-2022 according to Hindu rites and customs at Chandigarh in Hotel (Grand Imperial Hotel), and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 01-03-2023. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30th day of January, 2023 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H. P.)

In the matter of:

- 1. Anil Chauhan s/o Sh. Durga Dass, r/o H. No. 35/5 Haripur, P.O. & Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)
- 2. Shashi Prabha d/o Sh. Amar Nath, r/o H. No. 35/5 Haripur, P.O. & Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) . . . *Applicants*.

Versus

General Public . . Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Anil Chauhan and Shashi Prabha applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this

court on or before 04-03-2023. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 03-02-2023 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H. P.)

In the matter of:

- 1. Saminur Rehman s/o Sh. Rafiur Rahman, r/o H. No. 58/4 Bhojpur, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) (Permanent address H. No. 15 Mohalla Mirdha The Bhogan, Distt. Manipur (U.P.).
- 2. Tabassum Khan d/o Sh. Kashmir Khan, r/o H. No. 289/2 Ghara, P.O. & Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) . . . Applicants.

Versus

General Public ... Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Saminur Rehman and Tabassum Khan applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-03-2023. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 03-02-2023 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Sh. Raman Kumar Sharma (HPAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of:

1. Chandresh Kumar s/o Mitter Dev, r/o Village Chaprahan, P.O. Nandi, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.).

2. Anupma Kumari d/o Kashmir Singh, r/o Village Satyog , P.O. Bara, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.) . . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Chandresh Kumar and Anupma Kumari have filed an application on 06-07-2022 along-with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-06-2021 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 09-03-2023. The objection received after 09-03-2023 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 06-02-2023 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Sh. Raman Kumar Sharma (HPAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of:

- 1. Pinku Thakur s/o Murari Lal, r/o Village & P.O. Sukkibain, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.).
- 2. Khim Lata d/o Ved Prakash, r/o Village Chadidhar (Kathala), P.O. Gohar, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.) . . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Pinku Thakur and Khim Lata have filed an application on 01-02-2023 along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-01-2023 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this

court on or before 06-03-2023. The objection received after 16-03-2023 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 01-02-2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०)

श्रीमती मुकेतन अन्सारी पत्नी जावेद अन्सारी, निवासी व डाकघर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण।

मकफूद-उल-खबरी का इन्तकाल बारे।

श्रीमती मुकेतन अन्सारी पत्नी जावेद अन्सारी, निवासी व डाकघर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि जावेद अन्सारी पुत्र गुलाम अजगर उर्फ रतन चन्द, निवासी व डा० भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर दिनांक 22—09—2011 को गाड़ी नं० एच०पी० 31ए0—4962 में मणीकरण से भुन्तर की ओर आ रहा था। गाड़ी दुर्घटना होकर ब्यास नदी में डूब गई परन्तु लाश आज तक नहीं मिली। इस सन्दर्भ में आवेदिका ने एफ०आई०आर० की प्रति, ब्यान पार्षद तथा इस न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय अभिकरण से रिपोर्ट भी तलब की है, जिससे उन्होंने दुर्घटना की पुष्टि की है। प्रार्थिन जावेद अन्सारी का मकफूद—उल—खबरी का इन्तकाल दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मकफूद—उल—खबरी का इन्तकाल दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 01—03—2023 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 अजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 01-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Nalagarh, District Solan (H.P.)

Case No.: 12 /2022 Date of Institution: 17-12-2022

Sh. Jaspal Singh s/o Late Shri Prem Chand, r/o V.P.O. Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) .

Versus

General Public through: Gram Panchayat, Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.)

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Jaspal Singh s/o Late Shri Prem Chand, r/o V.P.O. Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that he was born on dated 10-10-1967 at Village Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) but his birth could not be registered in the record of old Gram Panchayat Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the Newly Gram Panchayat Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding his birth, may file their objection in this court on or before 28-02-2023, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 30th day of January, 2023.

Sd/
Executive Magistrate (Tehsildar)
Nalagarh, District Solan (H P.)

CHANGE OF NAME

I, Divya Mehta d/o Pancham Singh, r/o V.P.O. Massour, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) at present w/o Preeti Singh, V.P.O. Malyawar, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) declares that in Panchayat & Educational records my name wrongly recorded as Divya. Correct it as Divya Mehta.

DIVYA MEHTA d/o Pancham Singh, r/o V.P.O. Massour, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).